न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 214/2018

GCMS No. : 2018/00270

–:: वादीगण ::–

1. दीनाराम पुत्र देवाराम के कायम मुकाम–
   1/1 गंगा पत्नी दीनाराम
   1/2 जयवर्धन पुत्र दीनाराम
   1/3 प्रियंका पुत्री दीनाराम
   1/4 तनुजा पुत्री दीनाराम
   वादी संख्या 1/2 से 1/4 नाबलिग जरिये कुदरती वलीया माता गंगा पत्नी दीनाराम सभी जातियान– जाट, निवासीगण– ग्राम बांझाकुड़ी, तहसील– जैतारण, जिला–पाली राज.।

बनाम

–:: प्रतिवादी ::–

1. तहसीलदार, जैतारण। तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

तारीख रजू:. 13/08/2018

उपस्थितः–

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. तहसीलदार, सरकारी पैरोकार राज, प्रतिवादी।

दिनॉकः– 13/10/2020

–:: निर्णय ::–

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा बांजाकूडी, पटवार हल्का बांजाकूड़ी, तहसील जैतारण में वादी के नाम की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई है, जो खसरा नम्बर 806, रकबा 19–02 बीघा, खसरा नम्बर 855, रकबा 08–13 बीघा, खसरा नम्बर 251, रकबा 20–01 बीघा, खसरा नम्बर 387 /1087, रकबा 5–09 बीघा की आई हुई है। इसी प्रकार राजस्व मौजा ग्राम फूलमाल, पटवार हल्का फूलमाल, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 134, रकबा 33 बीघा 06 बिस्वा, की आई हुई है। इसी प्रकार राजस्व मौजा ग्राम जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 519, रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा, की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात की नकल जमाबंदीया वादपत्र के साथ पेश की जा रही है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। एवं उक्त आराजीयात को आगे वादपत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उपरोक्त वर्णित आराजीयात में वादी का माफिक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त चला व काश्त है एवं इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर के काश्त करते चला आ रहा है, परन्तु उक्त वर्णित विवादित आराजी में वादी के पिता का नाम देवाराम के स्थान पर [illegible] का नाम गलत ईन्द्राज कर दिया गया है। जबकि वादी के पिता का सही नाम [illegible]

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.22 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested

तत्कालीन आर.आई व पटवारी ने लिपिकिय त्रुटिवश देवाराम की जगह अमराराम अंकित कर दिया है जो एक कि रोन्ग एन्ट्री है जिसे दुरूस्त कराने हेतु वादी की ओर से यह वादपत्र बाबत् घोषणा का पेश है। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजीयात में वादी के पिता का नाम अमराराम का गलत अंकन है जबकि वादी के पिता का सही नाम देवाराम है। जिसके दस्तावेजी सबूत के रूप में आधारकार्ड एवं परिचय पत्र, आयकर विभाग का पेन कार्ड, परिवार राशनकार्ड है, जिसमें वादी के पिता का सही नाम देवाराम ही दर्ज है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन आर.आई पटवारी ने वादी के पिता का नाम देवाराम के स्थान पर अमराराम दर्ज कर दिया है, जो की एक रोंग एन्ट्री की तारीफ में आता है जबकि वादी के पिता का सही नाम देवाराम है जो वादपत्र के साथ प्रस्तुत सरकारी दस्तावेजात से प्रमाणित है। जिसको दुरूस्त कराने बाबत यह वादपत्र घोषणा व दुरूस्ती का श्रीमान के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम अमराराम गलत इन्द्राज हो जाने से वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योकि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के पिता का नाम गलत होने से बैंक से ऋण, कनेक्शन लेने एवं अन्य सभी सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में वादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में अमराराम के स्थान पर देवाराम दुरूस्त करने हेतु यह वादपत्र घोषणा एवं दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादी के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। वादी के पिता के अन्य सरकारी दस्तावेजात में सही नाम इन्द्राज चले आ रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में नाम अमराराम गलत इन्द्राज हो जाने की वजह से अनेकों प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से दिनांक 11.07.2018 को प्रतिवादी को एक लिखित में प्रार्थना पत्र जमाबंदी में नाम के सही व दुरूस्ती इन्द्राज कराने का प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी ने इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का कहा तब वादी का यह वादपत्र बावत अपने नाम की दुरूस्ती कराने की घोषणा कराने के बावत वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी के अलावा अन्य सहहिस्सेदार व खातेदार है परन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है क्योकि वादी को इनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है एवं न ही अन्य सहखातेदारों के वादी के इस वादपत्र से कोई हिस्से की प्रभावित हो रहे है। प्रतिवादी तहसीलदार जो कि भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी है एवं वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने से मना करने से आवश्यक एव प्रोपर पक्षकार होने से उनको बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 11.07.2018 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड में अपने पिता का सही नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र तहसीलदार जी के कार्यालय में प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने पर बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से यह वादपत्र श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा पेश किया जो कि सामिल मिसल है, जवाब दावा में जाहिर किया गया है कि सरहद मौजा बांजाकुड़ी पटवार हल्का बांजाकुड़ी तहसील- जैतारण में वादी दीनाराम पुत्र देवाराम की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई है, जो खसरा नम्बर 806, रकबा 19-02 बीघा, खसरा नम्बर 855, रकबा 08-13 बीघा, खसरा नम्बर 251, रकबा 20-01 बीघा, खसरा नम्बर 387/1087 रकबा 5-09 बीघा की आई हुई, जो सही है द्वारा खसरा नम्बर 387/1087, रकबा 5-14 बीघा एंव खसरा नम्बर 385 रकबा 1.5

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2020.10.22 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवंम
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पिता, जरिये नामांकरण संख्या 1076 दिनांक 5/03/2002 एंव ग्राम फुलमाल के खसरा नम्बर 134 में जरिये बैचान पत्र में वादी ने स्वयं के पिता का नाम अमराराम दर्ज करवाया था। राजस्व विभाग द्वारा कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं की गई। वादी के पिता एंव बड़े पिता के नाम क्रमशः देवाराम, अमराराम, मंगलाराम है। अमराराम नाऔलाद फौत हो चुके है, वादी देवाराम का ही पुत्र हैं, परन्तु पंजीबद्ध दस्तावेज में वादी ने अपने पिता का नाम अमराराम दर्ज करवाया। वादी के पिता का नाम देवाराम ही है। वादी के आधार कार्ड, परिचय पत्र, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका देवाराम ही हैं। सरकारी दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम देवाराम ही हैं। राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का नाम जरिये पंजीबद्ध दस्तावेजों से अमराराम दर्ज करवाया था जो गलत है, वादी के पिता का नाम देवाराम है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का विवाद्यक अनुसार विवेचन एवं निर्णय निम्नानुसार हैं :-

(1) आया वादी आया वादी वादग्रस्त आराजी में वादी के बतौर पिता दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि अमराराम के स्थान पर शुद्ध प्रविष्टि देवाराम की घोषणा करवाने का अधिकारी है?

जिम्मे वादी

यह विवाद्यक साबित करनें का भार वादी पर है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श-P-1 जमाबंदी संवत 2073-2076, ग्राम- बाजांकुड़ी, खसरा संख्या 806 के अनुसार दीनाराम पुत्र अमराराम, दुर्गाराम पुत्र अमराराम के साथ 1/6 हिस्से का बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श-P-2, जमाबंदी संवत्, 2073-2076, ग्राम- बांजाकुड़ी में खसरा संख्या 855 में दुर्गाराम, दीनाराम पुत्र अमराराम 1/2 हिस्से में बतौर सहखातेदार दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श-P-3, जमाबंदी संवत् 2073-2076, ग्राम- बांजाकुड़ी, खसरा संख्या 251 में दीनाराम, दुर्गाराम पुत्र अमराराम बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श-P-4, जमाबंदी संवत् 2073-2076, ग्राम- फूलमाल खसरा संख्या 134 एवं प्रदर्श-P-5, जमाबंदी संवत् 2073-2076, ग्राम- जैतारण, एवं प्रदर्श-P-6, जमाबंदी संवत् 2073-2076, ग्राम- बांजाकुड़ी खसरा संख्या 387/1087 में दीनाराम पुत्र अमराराम बतौर सहखातेदार दर्ज हैं, वही प्रदर्श-P-7, के अनुसार ग्राम बांजाकुड़ी के, खसरा संख्या क्रमश 349, 756, 759, 760, 769, 773 एवं 775 की आराजी में दीनाराम पुत्र देवाराम बतौर सहखातेदार दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत भारत निर्वाचन आयोग के पहचान-पत्र संख्या RJ/21/159/228585, आधार कार्ड संख्या 505637854446 पेन कार्ड संख्या AHZPB4464D एवं वादी की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. अजमेर द्वारा जारी कक्षा 10 की अंकतालिका क्रमांक 0181098 एवं वादी के मृत्यु प्रमाण-पत्र क्रमांक 44 दिनांक 24.10,2018 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी दीनाराम के पिता का नाम देवाराम है, न कि अमराराम। मृतक दीनाराम की पत्नी की और से प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण की और से प्रस्तुत जवाब दावे के अनुसार वादी के पिता आदि तीन भाई हैं, क्रमशः देवाराम, अमराराम और मंगलाराम, जिनमें से अमराराम ना-औलाद फौत हो चुके हैं। वादी दीनाराम देवाराम की संतान है। यह सही है कि वादग्रस्त आराजी ... क्रय शुदा है तथा पंजीकृत बैचाननामें में क्रेता/वादी के पिता का नाम ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.22 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested

महायक कलेक्टर प्रदेश
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जो कि एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है। वादी एवं खातेदार दीनाराम फौत हो चुका है, तथा वादी के पिता का नाम भू-अभिलेख में त्रुटिपूर्ण अंकित होने के कारण नामांतरण कार्यवाही में भी दिक्कत आ रही है। अतः वादी के पिता का वास्तविक एवं सही नाम अमराराम के स्थान पर देवाराम होना दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रतिवादी के जवाबदावे से भलीभाँति साबित होनें से यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

(2) आया वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा जरिये पंजीकृत बैचाननामा से क्रय की गई है, जिसमें वादी द्वारा पिता का नाम अमराराम पंजीबद्व करवाया है अतः अमराराम के स्थान पर देवाराम दर्ज करवाने का अधिकारी नहीं है ?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करनें का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अपनें जवाबदावा में यह स्वीकार किया है, कि वादी के पिता का वास्तविक एवं सही नाम देवाराम हैं, जबकि वादग्रस्त आराजी पंजीकृत बैचाननामें से अर्जित की गई है, जिसमें वादी के पिता का नाम अमराराम दर्ज है। प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि अमराराम नाऔलाद फौत हुए हैं। इस प्रकार वादी के दावे एवं जवाबदावे तथा प्रस्तुत दस्तावेजात् से यह पुष्टि होती है कि वादी के पिता का वास्तवित एवं सही नाम देवाराम है। खातेदार को यह पूर्ण अधिकार है कि वह भू-अभिलेख उससे संबंधित सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध करवा सकें, साथ ही न्यायालय हाजा के अलावा अन्य किसी न्यायालय या प्राधिकारी को यह अनुतोष प्रदान करने की अधिकारिता नहीं है। पूर्व निर्णित विवाद्यक संख्या-1 वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। प्रतिवादी यह विवाद्यक साबित करनें में असफल रहा है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह विवाद्यक प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

(3) आया वादग्रस्त आराजी मुताबिक पंजीकृत बैचाननामा के अनुरूप नामान्तकरण तस्दीक होकर वादी के नाम दर्ज हुई है, अतः वादकारण उत्पन्न नहीं होने से वाद इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है ?

जिम्मे प्रतिवादी

यह विवाद्यक साबित करनें का भार प्रतिवादी के जिम्मे था। प्रतिवादी द्वारा वाद कारण के अभाव में वाद खारिज किए जानें का कथन किया है। वाद पत्र के अवलोकन ये यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद पत्र के पैरा संख्या-7 में वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादी के पिता का नाम भू-अभिलेख में गलत दर्ज है। पूर्व निर्णित विवाद्यक संख्या एक एवं दो वादी के पक्ष में निर्णित की जा चुकी है। प्रतिवादी इस विवाद्यक का साबित करनें में सफल नहीं रहा है, अतः यह विवाद्यक भी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

इस प्रकार निष्कर्षतः उपर्युक्त विवाद्यक वाद पृथक-पृथक विवेचन एवं निर्णय के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि वादी का वाद भलीभाँति साबित होनें से स्वीकार करना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भलीभाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाकर ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2020.10.22 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

विरुद्ध प्रतिवादी निर्णित एवं डिक्री किया जाता है। तहसील जैतारण के ग्राम बांझाकुड़ी के खसरा संख्या 806, रकबा 19-02 बीघा, खसरा संख्या 855, रकबा 08-13 बीघा, खसरा संख्या 251, रकबा 20-01 बीघा, खसरा संख्या 387/1083 रकबा 5-09 बीघा, एवं ग्राम- फूलमाल के खसरा संख्या 134, रकबा 33-06 बीघा और ग्राम- जैतारण के खसरा संख्या 519 रकबा 7-04 बीघा में वादी एवं खातेदा दीनाराम के पिता के नाम की अंकित गलत प्रविष्टि अमराराम को विलोपित करते हुए इसे सही प्रविष्टि देवाराम से प्रतिस्थापित करते हुए वादी दीनाराम पुत्र देवाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी दीनाराम फौत हो चुका हैं, अतः तहसीलदार, जैतारण को निर्देश प्रदान किए जाते हैं, कि उपर्युक्त आदेश की पालना उपरांत खातेदार दीनाराम के विधिक वारिसान की जाँच कर नामाँतरण की कार्यवाही करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी क़दर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 13/10/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.22 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-:: वादीगण ::- बनाम -:: प्रतिवादी ::-

2. दीनाराम पुत्र देवाराम के कायम मुकाम-
1/1 गंगा पत्नी दीनाराम
1/2 जयवर्धन पुत्र दीनाराम
1/3 प्रियंका पुत्री दीनाराम
1/4 तनुजा पुत्री दीनाराम
वादी संख्या 1/2 से 1/4
नाबलिग जरिये कुदरती वलीया
माता गंगा पत्नी दीनाराम सभी
जातियान- जाट, निवासीगण-
ग्राम बांझाकुड़ी, तहसील-
जैतारण, जिला-पाली राज.।

2. तहसीलदार, जैतारण।
तहसील- जैतारण, जिला- पाली
राज.।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 214/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण प्रति. मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बांझाकुड़ी, तहसील-जैतारण में खसरा संख्या 806, रकबा 19-02 बीघा, खसरा संख्या 855, रकबा 08-13 बीघा, खसरा संख्या 251, रकबा 20-01 बीघा, खसरा संख्या 387/1083 रकबा 5-09 बीघा, एवं ग्राम- फूलमाल के खसरा संख्या 134, रकबा 33-06 बीघा और ग्राम- जैतारण के खसरा संख्या 519 रकबा 7-04 बीघा में वादी एवं खातेदा दीनाराम के पिता के नाम की अंकित गलत प्रविष्टि अमराराम को विलोपित करते हुए इसे सही प्रविष्टि देवाराम से प्रतिस्थापित करते हुए वादी दीनाराम पुत्र देवाराम को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी दीनाराम फौत हो चुका हैं, अतः तहसीलदार, जैतारण को निर्देश प्रदान किए जाते हैं, कि उपर्युक्त आदेश की पालना उपरांत खातेदार दीनाराम के विधिक वारिसान की जाँच कर नामाँतरण की कार्यवाही करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। इसी कदर पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली इसी क़दर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-..... .फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/10/2020 को सर-ए-इजलास जारी किया गया ।

मोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.22 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2020.10.22 12:13:21 IST
Reason: SelfAttested